

# झारखण्ड विधान सभा

## ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा  
पंचदश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 05.02.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री ताला मराण्डी स०वि०स० श्री अशोक कुमार स०वि०स० श्री राम कुमार पाहन स०वि०स०	संथाल परगना के व्यवहार न्यायालय में गवाह देने वाले आदिवासी के लिए द्विभाषीय उपलब्ध कराया जाय, ताकि लोग संताली भाषा में गवाही दे सकें, जिन्हें हिन्दी नहीं आती है। इस ओर सदन का ध्यानाकर्षण करते हैं।	विधि
02-	श्री देवेन्द्र कुमार सिंह स०वि०स०	पलामू जिलान्तर्गत पाँकी- हेरहंज- बालूमाथ पथ का कार्य एम०जी०सी०पी०एल० के द्वारा पथ एवं नाली का निर्माण करना था, लेकिन पथ के निर्माण में बी०ओ०क्यू० के प्रावधान के तहत पुराना पीच हटकर (स्कैरिफाई) कार्य करना है जबकि संवेदक द्वारा पुराने पीच पर ही कार्य कराया जा रहा है। जिसमें पथ की गुणवत्ता का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। निर्माण के क्रम में पेयजल हेतु पाईप क्षतिग्रस्त कर दिये गये हैं। उनकी भी मरम्मत नहीं करायी जा रही है एवं पथ के बगल में नाली का निर्माण कार्य भी पूर्ण नहीं कराया गया है।	ग्रामीण विकास

01.	02.	03.	04.
		<p>अतः इस पथ के गुणवत्ता की जाँच कराने एवं अधूरी नाली के निर्माण/क्षतिग्रस्त पाईप की मरम्मत कराने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।</p>	
03-	<p>श्री फूलचन्द मण्डल स0वि0स0</p>	<p>झारखण्ड/वनांचल अलग राज्य गठन के लिये आंदोलन करने वाले विभिन्न श्रेणी के आंदोलनकारियों को चिन्हित कर सरकार द्वारा सम्मान/पेंशन दिया जा रहा है। कुछ ऐसे भी आंदोलनकारी हैं जिन्होंने अलग राज्य गठन में सक्रिय भूमिका निभायी और सरकार ने उनका मुकदमा भी वापस ले लिया था, लेकिन उन्हें सम्मान/पेंशन से वंचित रखा गया है।</p> <p>धनबाद जिलान्तर्गत गोविन्दपुर थाना कांड संख्या-364/92 एवं बरवाअड्डा थाना कांड संख्या-286/92 में नामजद कई लोगों के नाम झारखण्ड/वनांचल आंदोलनकारियों के चयनित सूची में शामिल नहीं है।</p> <p>अतः सभी छूटे हुए झारखण्ड/वनांचल आंदोलनकारियों का नाम चयनित सूची में शामिल कर सम्मान/पेंशन व्यवस्था लागू करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।</p>	<p>गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन</p>
04-	<p>श्रीमती निर्मला देवी स0वि0स0</p>	<p>माननीय उच्च न्यायालय के निदेशानुसार चतरा जिला में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में दिनांक-29.09.2018 को 104 शिक्षकों ने योगदान दिया, परन्तु अब तक उक्त शिक्षकों को किसी विद्यालय में प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है।</p> <p>अतः उक्त शिक्षकों को विद्यालय में पदस्थापित करने की माँग करती हूँ।</p>	<p>स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता</p>

01.	02.	03.	04.
05-	श्री अमित कुमार मण्डल स०वि०स० श्री जय प्रकाश सिंह भोगता स०वि०स० श्री आलोक कुमार चौरसिया स०वि०स०	राज्य में राईट टू सर्विस (सेवा के अधिकार) के अधिनियम लागू होने के बावजूद अमुमन आम नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा कार्यों के निष्पादन के लिए प्रखण्ड, जिला एवं राज्यस्तरीय कार्यालयों का कई दिनों तक चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन राज्य में लालफीतासाही हावी होने के कारण जो कार्य समय सीमा पर खत्म हो सकती है, उन्हें बेवजह लंबा खींचा जाता है। जैसे कर्मचारियों/पदाधिकारियों का आकलन, प्रोन्नति का अधिकार वरीय अधिकारियों के पास होता है, लेकिन जिसे केन्द्रविन्दु मानकर जैसे पदाधिकारियों की प्रोन्नति व अन्य लाभ होना चाहिए व सही मायने में आम नागरिक होते हैं। इस परिस्थिति में Citizen Empowerment को बढ़ावा देने के लिए जैसे सभी संबंधित सेवारत कर्मियों के मूल्यांक की आवश्यकता है। अतः मांग करते हैं कि निजी क्षेत्र में जिस प्रकार Customer Satisfaction के आकलन के लिए व्यवस्था कार्यरत है, उसी प्रकार Public Sector में भी Citizen Satisfaction के लिए राज्य में कार्यरत सेवाकर्मियों का आकलन प्रोन्नति व अन्य लाभ Citizen Survey के आधार पर किया जाना चाहिए।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

राँची,  
दिनांक- 05 फरवरी, 2019 ई०।

महेन्द्र प्रसाद,  
सचिव,  
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-01/2019-.....1140...../वि० स०, राँची, दिनांक-04/02/19  
प्रति:- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/  
मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के  
आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/विधि विभाग/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन  
विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं स्कूली  
शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस० शिराज वजीह बंटी)  
उप सचिव,  
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-01/2019-.....1140...../वि० स०, राँची, दिनांक- 04/02/19  
प्रति:- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा०  
अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,  
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

04.02.19